कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 136/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, सठियांव चौराहे के पास पुलिस ने दबोचा

संगठित गिरोह बनाकर चोरी/नकबजनी जैसी घटनाओं को देते थे अंजाम, जनपद स्तर पर सक्रिय था नेटवर्क

घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

➡ **घटना का संक्षिप्त विवरण—**

विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त बृजभान पुत्र स्व0 कान्ता एवं गौतम पुत्र ध्यानचन्द्र निवासीगण ग्राम भटौरा थाना मुबारकपुर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी, नकबजनी व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर थी तथा इनके विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। गिरोह के भय के कारण आमजन खुलकर शिकायत करने से भी कतराते थे।

उक्त प्रकरण में उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मु0अ0सं0 134/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡ **गिरफ्तारी का विवरण—**

दिनांक 08.04.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सठियांव चौराहे के पास घेराबंदी कर अभियुक्तगण 1. बृजभान पुत्र स्व0 कान्ता (उम्र करीब 25 वर्ष) 2. गौतम पुत्र ध्यानचन्द्र (उम्र करीब 29 वर्ष) निवासीगण ग्राम भटौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡ **आपराधिक इतिहास—**

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुबारकपुर व अन्य थानों पर चोरी, नकबजनी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

➡ **पुलिस टीम—**

व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय पुलिस टीम, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

संगठित अपराध एवं गैंगस्टर गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के 21,500/- रुपये कराए गए वापस

☐ 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर की गई ठगी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली राहत

➡☐ घटना का विवरण—

आवेदक विवेक चौधरी पुत्र रामनयन चौधरी निवासी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को अज्ञात कॉलर द्वारा स्वयं को साइबर पुलिस अधिकारी बताते हुए 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर आरोप लगाया गया कि वह आपत्तिजनक वेबसाइट देखते हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भयभीत होकर आवेदक द्वारा जल्दबाजी में 21,500/- रुपये संबंधित खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ, जिस पर साइबर शिकायत संख्या 331092XXXXXX दर्ज कराई गई।

➡☐ रुपये वापसी की कार्रवाई—

उक्त शिकायत पर थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी सहायता से त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पीड़ित के खाते में 21,500/- रुपये वापस कराए गए।

➡☐ जनजागरूकता—

पुलिस द्वारा आवेदक को जागरूक किया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल पर विश्वास न करें, ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करें तथा 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी भ्रामक बातों से सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें अथवा नजदीकी साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

➡☐ पुलिस टीम—

01. उ0नि0 विधनेश वर्मा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

02. म0का0 रीना यादव, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

☐ साइबर अपराधों से बचाव हेतु सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण—

दिनांक 08.03.2026 को वादी द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सौरभ पुत्र पुजारी राजभर निवासी प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 52/26 धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

प्रकरण में वांछित अभियुक्त की तलाश के क्रम में दिनांक 08.04.2026 को उ0नि0 नन्हकू राम मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सौरभ उपरोक्त को मिल्कीपुर अंडरपास से समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 52/26 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. सौरभ पुत्र पुजारी राजभर निवासी प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 नन्हकू राम, थाना पवई जनपद आजमगढ़।

02. का0 अमित पाल, थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
□साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के 18,000/- रुपये कराए गए वापस
□ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई
□साइबर फ्रॉड के तरीकों से सावधान रहें,

आजमगढ़। जनपद में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़ित के 18,000/- रुपये वापस कराए गए।

➡□ पूर्व की घटना—
आवेदक विकास पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम सेमरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 28.03.2026 को अज्ञात कॉलर द्वारा फोन कर ब्लैकमेल किया गया कि वह ऑनलाइन आपत्तिजनक वीडियो देखता है और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डर के कारण आवेदक द्वारा 18,000/- रुपये संबंधित फ्रॉडर के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में आवेदक द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई।

➡□ रुपये वापसी की कार्रवाई—
शिकायत पर उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय द्वारा जांच कर संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक के खाते से ट्रांसफर हुए 18,000/- रुपये नियमानुसार वापस कराए गए।

➡□ साइबर फ्रॉड के प्रमुख तरीके—
• फर्जी कॉल/मैसेज के माध्यम से डराकर या लालच देकर पैसा मांगना
• फर्जी लिंक/एप डाउनलोड कराकर मोबाइल या बैंक डिटेल हैक करना
• केवाईसी अपडेट, लॉटरी, इनाम, जॉब ऑफर आदि के नाम पर ठगी
• सोशल मीडिया/ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर एडवांस भुगतान लेकर धोखाधड़ी

➡□ बचाव के उपाय—
• किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर विश्वास न करें
• ओटीपी, बैंक डिटेल या निजी जानकारी किसी से साझा न करें
• किसी भी संदिग्ध लिंक/एप को डाउनलोड न करें
• पैसे ट्रांसफर करने से पहले पूरी तरह सत्यापन करें
• साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें

➡□ पुलिस टीम—
उ0नि0 लोकेशमणि, उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय, म0का0 अमृता यादव, का0 अमित कुमार यादव, का0 किशन मिश्रा, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

□ साइबर अपराधों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।